न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—31/2022 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक जरिये प्राधिकृत अधि., सर्कल SASTRA केंन्द्र, हनुमानगढ़ आशिष सिनेमा के सामने, गोयल टावर, तीसरी मंजिल, हनुमानगढ़ जंक्शन।

——प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स अमन प्लास्टर रावतसर—सरदारशहर मेगा हाईवे, ग्राम पंचायत बारामसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण/ऋणी

2. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री जीत सिंह निवासी मकान नं. 198/20, सैनी पुरा रोहतक, हरियाणा—124001।

——प्रोपराईटर

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश **दिनांकः—16.06.2022**

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक जरिये प्राधिकृत अधि., सर्कल SASTRA केंन्द्र, हनुमानगढ़ आशिष सिनेमा के सामने, गोयल टावर, तीसरी मंजिल, हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर से श्री समीर यादव बैंक प्रतिनिधि उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को 14.00 लाख की ऋण सुविधा नगद साख सीमा ऋण के बाबत उपलब्ध करवाई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण सुविधा के एवज में सम्पत्ति सं. 1. कच्चे माल का स्टॉक, डब्ल्यू.आई.पी., पीओपी का तैयार माल एवं फर्म की अन्य वर्तमान सम्पत्तियों का दृष्टिबंधक (वर्तमान एवं साथ ही भविष्य भी), सम्पत्ति सं. 2. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री जीत सिंह के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक भूमि एवं भवन जो खसरा नं. 315/8, मेगा हाईवे, ग्राम पंचायत बारामसर, जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल (बैंक रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 0.093 हैक्ट. अर्थात 930 वर्ग मीटर) है, ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी/जमानती की सलंग्न समरी लिस्ट मे वर्णित सम्पत्ति जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में हित साम्यिक बंधक किया।

ऋणी द्वारा प्रार्थी की बकाया रकम एवं ब्याज की राशि समय पर अदा नहीं किये जाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी के ऋण खाता को नियमानुसार दिनांक 28.10.2021 को गैर—निष्पादनीय आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 14,42,833.26/— दिनांक 31.01.2022 को बकाया एवं दिनांक 01.02.2022 से ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है।

Web Copy - Not Official

ऋणी के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से ऋणी व जमानती को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 26.11.2021 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 14,10,497.26/– दिनांक 26.11.2021 को बकाया एवं दिनांक 01.11.2021 से ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के अदा करने की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

ऋणी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल SASTRA केंन्द्र, हनुमानगढ़ आशिष सिनेमा के सामने, गोयल टावर, तीसरी मंजिल, हनुमानगढ़ जंक्शन के प्रतिनिधि के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर कच्चे माल का स्टॉक, डब्ल्यू.आई.पी., पीओपी का तैयार माल एवं फर्म की अन्य वर्तमान सम्पत्तियों का दृष्टिबंधक (वर्तमान एवं साथ ही भविष्य भी) इत्यादि का हाईपोथिकेशन से सम्बन्धित स्टॉक सूची की नवीनत्तम स्थिति उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी बैंक कच्चे माल का स्टॉक, डब्ल्यू.आई.पी., पीओपी का तैयार माल आदि का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा औद्योगिक भूमि एवं भवन जो खसरा नं. 315/8, मेगा हाईवे, ग्राम पंचायत बारामसर, जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल (बैंक रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 0.093 हैक्ट. अर्थात 930 वर्ग मीटर) है, जो श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री जीत सिंह के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ व प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़